न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः 59/2016 (जीसीएमएस नं. 2016/00056)

1. मीरसिंह चौधरी पुत्र श्री सांवलराम, जाति जाट निवासी जमना कोठी माचडा हाल आबाद कुकर खेडा उर्फ महापुरा सीकर रोड़, तहसील व जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
2. गिरधर कॉलोनी विकास समिति जरिये सचिव कार्यालय प्लाट नम्बर 4, वी.सी. टॉवर गिरधर कॉलोनी, ताम्बी पैट्रोल पम्प के पास सीकर रोड़ जयपुर जरिये सचिव श्री विजन्द्र कुमार झाडडिया पुत्र फत्ताराम

—— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. री ज्ञानेश्वर बाढदार अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 12.10.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जिला जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.02.2016 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम महापुरा उर्फ कुकर खेडा तहसील व जिला जयपुर के खसरा नम्बर 84 में श्रीमती जमना देवी पत्नी सांवलराम जाति जाट निवासी महापुरा उर्फ कुकर खेडा तहसील व जिला जयपुर वर्ष 1995 व मैसर्स कृपा डवलपर्स प्राईवेट लि. जरिये निदेशक सत्यनारायण गुप्ता, औमप्रकाश पुनिया, नवीन चौधरी, ओमप्रकाश झाझडिया, सुरेन्द्र गजराज से वर्ष 2009 में भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई थी तथा अपीलान्ट खसरा नम्बर 84 मे अपने हिस्से का मालिक काबिज स्वामी है, अपीलान्ट द्वारा उक्त क्रयशुदा हिस्से पर काबिज है तथा अन्य खातेदार एवं भूधारी अपने—अपने हिस्से पर काबिज है, लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बिना किसी आधार के राजस्व कर्मचारियों की गलती से खसरा नम्बर 84 में लाल रंग से नवीन लाल लाईन डाल कर अपीलान्ट एवं अन्य खातेदार का वास्तकिक भौतिक रकबा कम कर दिया है जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई विधिक एवं कानूनी अधिकार नही था, न ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त राजस्व मानचित्र में नवीन अंकन करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर दिया, बाला—बाला ही राजस्व कर्मचारियों ने अविधिक रूप से जो नवीन तरमीम कायम की है वह अवैधिक है एवं निरस्तनीय है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.02.2016 पारित किया है जो विधि विधान के विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि ग्राम महापुरा उर्फ कुकरखेडा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 84 में नवीन तरमीम राजस्व मानचित्र में पूव में कतई नही थी तथा पटवारी हल्का ने बिना जॉच के गलत रूप से व्यक्ति विशेष को फायदा देने की गरज से उक्त लाल लाईन तरमीम कर भौतिक रूप से अपीलान्ट व अन्य का रकबा कम कर दिया जो कतई सही नही है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के इस तथ्य को नही समझकर तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजातों का सही रूप से नही समझ कर मनमाना आदेश पारित किया है जो कानूनन गलत है एवं काबिले निरस्त है। उन्होने आगे कथन किया है अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में यह तथ्य स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि रेस्पोडन्ट संख्या 1 ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के खसरा नम्बर 84 में नवीन अंकन राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 84/1 व 84/2 किया है जिसका उन्हे क्षेत्राधिकार नही था। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रश्नगत प्रकरण में हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक ने उक्त प्रकरण में किसी भी पक्षकार को बिना सूचना दिये और न ही भौतिक रूप से मौका सत्यापन किये ही लाल स्याही का अंकन किया गया है जो विधि विरूद्ध है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर भी गौर नही किया गया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि पटवारी की रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर दुकानात व आबादी विस्तार हो चुका है तो हल्का पटवारी को मौके की वास्तविक स्थिति का ज्ञान कर व साबिक राजस्व मानचित्र अनुसार नवीन राजस्व मानचित्र में अंकन करना चाहिये था लेकिन हल्का पटवारी ने व भू अभिलेख निरीक्षक ने अपने स्तर पर ही बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के ही कार्यवाही की है जो विधि विधान के विपरित होने से काबिले खारिज है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.02.2016 पारित किया है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.06.2016 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कुकरखेडा उर्फ महापुरा तहसील व जिला जयपुर के राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 84 में जो नवीन तरमीम लाल स्याही से दर्ज किये गये है वह बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के तथा बिना पक्षकारान को सुनकर किये गया जो खसरा नम्बर 84/1 व 84/2 मूल खसरा नम्बर 84 में लाल स्याही से नवीन लाईन तरमीम की है उसके हजफ (निरस्त) किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि ग्राम महापुरा उर्फ कूकरखेडा के खसरा नम्बर 84 का रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा में से 4.18 बीघा की 90बी होने से नामान्तरकरण संख्या 172 जयपुर विकास प्राधिकरण में पक्ष में दर्ज किये जाने पर नवीन बटा नम्बरों अनुसार राजस्व नक्शा में लाल स्याही से अंकन की गई है तथा वर्तमान जमाबन्दी एवं नक्शा में कोई भिन्नता

संभागीय आयुक्त
जयपुर

नही है उक्त खिंची गई लाल लाईन लिपिकीय भूल नही है। नामान्तरकरण संख्या 172 के अनुसार खसरा नम्बर 84 के नवीन बटा नम्बर 84/1 व 84/2 बनने पर ही पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक ने अपने स्तर पर ही राजसवाान लैण्ड रिर्काड रूल्स नियम 1957 में वर्णित नियमों के अनुसार लाल लाईन से अंकित की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन से जाहिर होता है उक्त खसरा नम्बर 84 का कुल रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा था जिसमें से नाले की जमीन रकबा 9 बिस्वा को छोड़कर शेष भूमि 4.18 बिस्वा की जयपुर विकास प्राधिकरण से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90बी की कार्यवाही की गई है जिसके संदर्भ में नामान्तरकरण संख्या 172 जयपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में दर्ज किये जाने पर नवीन बटा नम्बरों को अंकन कर राजस्व नक्शा में लाल रंग स्याही से अंकित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही की गई है। उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज की गई जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.02.2016 को यथावत रखा जाता है।

10/2017

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।